APR-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मंदिर मूर्ति रामदेव जी महाराज ...बनाम ...जितेन्द्र कुमार वगैरह पुत्र
जरिये पुजारी / ... सत्यनारायण वगैरह
किस्म मुकदमा ... 225 आर.टी.एक्ट ... नम्बर ... 246/2021 ... सन् 2021 ( ) मसूदा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ... श्री ...	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
17.11.21	यह अपील श्री ...बशीर अहमद खान...एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी ...मसूदा...के आदेश/~~निर्णय~~ दिनांक...8.11.2021 प्रकरण संख्या ...112/2021...के विरूद्ध अन्तर्गत धारा ...225 टी.एक्ट... ....के तहत् पेश की गई। अपील बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन / ...—... भी पेश किया गया है। अत: दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक ...—...को वास्ते बहस एडमिशन एवं स्थगन/ ...—... प्रार्थना पत्र पेश हेतु पेश हों।	
	~~राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर~~	
	मंदिर मूर्ति रामदेव बनाम जितेन्द्र कुमार वगैरह	
	अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम पेशी पर ही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अप्रत्यक्ष रूप से निस्तारण कर दिया है तथा यह फाईडिंग दे दी गई है कि प्रथम दृष्टया केस, सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तो इसके पश्चात कौनसी रिलीफ होगी जो प्रार्थी को दी जा सकती है। प्रार्थी/अपीलांट शाश्वत नाबालिग है जिसके हितो की रक्षा किया जाना आवश्यक है तथा पुराने नक्शें ओर नए नक्शें के अनुसार वास्तविक स्थिति में मौके पर परिवर्तन हो गया है यदि इस प्रकार से किए गए परिवर्तन से अप्रार्थी संख्या संख्या 01 प्रार्थी की भूमि में ब्लास्टिंग शुरू कर दी है जिससे मंदिर परिसर व उसके पास बने हुए मकानों में दरारे उत्पन्न हो गई इसलिए विवादग्रस्त आराजी के बाबत् जब तक नक्शें में दुरूस्ती नहीं हो जाती है तब तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाना न्यायिक एवं आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में अप्रार्थी संख्या 01 मौके ब्लास्टिंग कर रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में साबित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2021 में अंकित विवादित आराजी के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।	
	अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मसूदा

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

246/2021/225 मंदिर श्री रामदेव बनाम विनोद कुमार

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/246 श्री समीर अहमद खान श्री	
	किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्षों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी मौके की यथास्थिति के आदेश से संरक्षित किया जाना न्यायसंगत है। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में आवश्यक रूप से निर्णित करें। तब तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.11.2021 व प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	